पत्र सं०–6 एस०एस०(6)05/2025–1493/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,(ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक–27/03/2025.

विषय :– **चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिहार राज्य के लिए "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक आधारित "Integrated Development of Reservoirs एवं Construction of State of Art Wholesale Fish Market हेतु केन्द्र सरकार के केन्द्रांश ₹ 14.8288 करोड़ (चौदह करोड़ बयासी लाख अट्ठासी हजार रुपया मात्र) तथा राज्यांश ₹ 9.886 करोड़ (नौ करोड़ अट्ठासी लाख साठ हजार रुपये मात्र) अर्थात् कुल ₹ 24.7148 करोड़ (चौबीस करोड़ इकहत्तर लाख अड़तालीस हजार रुपया मात्र) की लागत पर योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिहार राज्य के लिए "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक आधारित "Integrated Development of Reservoirs एवं Construction of State of Art Wholesale Fish Market" हेतु केन्द्र सरकार के केन्द्रांश ₹ 14.8288 करोड़ (चौदह करोड़ बयासी लाख अट्ठासी हजार रुपये मात्र) तथा राज्यांश ₹ 9.886 करोड़ (नौ करोड़ अट्ठासी लाख साठ हजार रूपया मात्र) अर्थात् कुल ₹ 24.7148 करोड़ (चौबीस करोड़ इकहत्तर लाख अड़तालीस हजार रुपये मात्र) की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुलग्नक–I, II एवं III के रूप में संलग्न है।

2. योजना का उद्देश्य :–

(i). समेकित जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना का मुख्य उद्देश्य चिन्हित जलाशय के समीप स्थित भूमि पर मात्स्यिकी के विभिन्न श्रृंखलाओं से संबंधित आधारभूत संरचनाओं को विकसित कर एक क्रियाशील समेकित मात्स्यिकी युनिट का निर्माण करना जिससे भविष्य में मात्स्यिकी इको टुरिज्म के रूप में विकास हो सके। इसमे मत्स्य उत्पादन, परिवहन मार्केटिंग के अतिरिक्त मनोरंजन मात्स्यिकी, प्रशिक्षण एवं लैंड स्कैपिंग से संबंधित आधारभूत संरचना विकसित कर इको टुरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा।

(ii). प्रस्तावित Construction of State of Art Wholesale Fish Market योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के राजधानी में एक आधुनिक एवं सुविधाओं से युक्त मत्स्य बाजार का निर्माण कर

एक मॉडल प्रस्तुत करना जहाँ पर मत्स्य उत्पादक, विक्रेता तथा उपभोक्ताओं के हित को ख्याल में रखते हुए हाईजेनिक एवं स्वास्थ्यकर मछली उत्पाद को उपलब्ध कराया जाएगा।

3. इससे होने वाले लाभ :– जलाशयों के समेकित मत्स्य विकास से जलाशय की जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादक्ता में गुणात्मक वृद्धि होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। State of Art Wholesale Fish Market योजना के सफल क्रियान्वयन से संगठित एवं स्वच्छ थोक मत्स्य बाजार उपलब्ध होगी तथा मत्स्य उपभोक्ताओं को ताजी एवं स्वच्छ मछली उपलब्ध होगी। राज्य में मात्स्यिकी से संबंधित आजीविका तथा ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के नये अवसरों का सृजन होगा तथा मत्स्य पालकों/कृषकों के वार्षिक आय में अभिवृद्धि के साथ–साथ उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी होगा।

4. योजना का भौतिक आकार एवं समय सीमाः – प्रस्तावित योजना का निम्न मख्य अवयव है–

(क) उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की योजना :– प्रस्तावित योजनान्तर्गत राज्य के बांका जिला स्थित ओढनी एवं बढुआ जलाशयों में Integrated Development of Reservoir का एक–एक इकाई का निर्माण किया जाएगा।

(ख) आधारभूत संरचना एवं मत्स्य शिकारमाही के पश्चात् प्रबंधन (Infrastructure and Post Harvest Management) की योजना :– इस योजनान्तर्गत पटना जिलान्तर्गत फुलवारीसरीफ स्थित मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में State of Art Wholesale Fish Market इकाई का निर्माण किया जाएगा।

उपयुक्त दानो प्रस्तावित योजनाओं का क्रियान्वयन 2024–25 तथा आगामी वर्षो में किया जायेगा।

5. योजना की संक्षिप्त विवरण :– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी निम्न है :–

(i) वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. j-117012/13/2020-Fy (E-17011), दिनांक–27.12.2024 द्वारा केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक अवयव के तहत केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में केन्द्रांश ₹ 14.8288 करोड़ (चौदह करोड़ बयासी लाख अट्ठासी हजार रुपये मात्र) तथा इसके समानुपातिक राज्यांश ₹ 9.886 करोड़ (नौ करोड़ अट्ठासी लाख साठ हजार रुपये मात्र) अर्थात् कुल ₹ 24.7148 करोड़ (चौबीस करोड़ इकहत्तर लाख अड़तालीस हजार रुपये मात्र) की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ii) फंडिग पैटर्न (Funding Pattern) एवं अनुदान :–

इस केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत गैर लाभुक आधारित अवयवों के तहत अवयववार निर्धारित इकाई लागत का 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार तथा 40 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(iii) केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत गैर लाभुक आधारित (क). मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि घटक के तहत् राज्य के बांका जिला स्थित ओढनी एवं बढुआ जलाशयों में Integrated Development of Reservoir का एक–एक इकाई तथा (ख) आधारभूत संरचना एवं मत्स्य शिकारमाही के पश्चात् प्रबंधन (Infrastructure and Post Harvest Management) घटक में पटना जिलान्तर्गत फुलवारीसरीफ स्थित मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में State of Art Wholesale Fish Market इकाई का निर्माण अवयव की स्वीकृति प्रस्तावित है।

(क). मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि घटक के तहत् Integrated Development of Reservoir :-

(i). ''बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति–2022'' के प्राख्यापन के साथ ही राज्य स्थित जलाशयों में 'मात्स्यिकी अधिकार' पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मत्स्य प्रभाग की हैं। मात्स्यिकी अधिकार प्राप्त कुल जलाशयों की संख्या 47 है जो लघु एवं मध्यम

श्रेणी की है। इन जलाशयों की अवस्थिति मुख्यतः राज्य के दक्षिणी जिला (यथा–नवादा, बाँका, रोहतास, कैमूर, जमुई, लखीसराय, मुंगेर आदि) में है। ये जलाशय मात्स्यिकी दृष्टिकोण ये काफी महत्वपूर्ण है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त इन जलाशयों में मात्स्यिकी विकास की कई योजना क्रियान्वित है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के दो जलाशसयों (औढ़नी एवं बदुआ, जिला बॉका) को Integrated Reservoir Fisheries development (समेकित जलाशय मात्स्यिकी विकास) के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्तावित योजना के तहत जलाशय के समीप स्थित भूमि पर मात्स्यिकी आधारभूत के विभिन्न अवयवों (यथा–नर्सरी/रियरिंग तालाब, लैंडिंग सेंटर, हैचरी, फीड मील, मत्स्य आखेट, ऐंगलिंग सेंटर आदि) का निर्माण किया जाएगा ताकि इसे मात्स्यिकी ईको टुरिज्म के रूप में विकसित किया जा सके।

(ii). इस घटक के तहत् राज्य के बांका जिला स्थित ओढनी एवं बढुआ जलाशयों में Integrated Development of Reservoir का एक–एक इकाई का निर्माण किया जायेगा।

(iii). प्रस्तावित Integrated Development of Reservoir के एक इकाई के तहत 0.50 एकड़ का दो रियरिंग तालाब एवं 0.25 एकड़ का छः नर्सरी तालाब का निर्माण किया जायेगा। निर्मित रियरिंग एवं नर्सरी तालाबों हेतु इनपुट, 8 Boats with ice holding boxes and necessary gear, एक Landing centre including berthing platforms cum auction centre का निर्माण, एक मत्स्य बीज हैचरी (इनपुट सहित) का निर्माण, प्रतिदिन 2 टन उत्पादन क्षमता का एक फिश फीड मिल का अधिष्ठापन, 10 टन क्षमता का एक आईस–प्लान्ट का अधिष्ठापन, एक इनसुलेटेड ट्रक/वाहन, पाँच थ्री–व्हीलर/ऑटो–रिक्सा (आईस बाक्स सहित), छः मोटर–साईकिल (आईस बाक्स सहित), एक फिश–किऑक्स, 2500 वर्ग फीट में shed, warehouse and other utility space का निर्माण, 18 केज/पेन का अधिष्ठापन एवं 500 मीटर में pathway/road, landscaping & other necessary items का निर्माण किया जायेगा (अवयववार–निर्धारित इकाई लागत, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–II संलग्न)।

(iv). प्रस्तावित योजनान्तर्गत एक इकाई Integrated Development of Reservoir के निर्माण का इकाई लागत ₹ 2.9294 करोड़ निर्धारित है जिसका 60 प्रतिशत यथा ₹ 1.7576 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत यथा ₹ 1.1718 करोड़ राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में वहन किया जायेगा। निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर अतिरिक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(v). प्रस्तावित Integrated Development of Reservoir का निर्माण बांका जिला स्थित ओढनी एवं बढुआ जलाशयों में Integrated Development of Reservoir का एक–एक इकाई का निर्माण किया जायेगा जिसपर कुल ₹ 5.8588 करोड़ (60 प्रतिशत यथा ₹ 3.51528 करोड़–केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत यथा ₹ 2.34352 करोड़–राज्यांश) राशि व्यय होने का अनुमान है।

(ख) आधारभूत संरचना एवं मत्स्य शिकारमाही के पश्चात् प्रबंधन के तहत State of Art Wholesale Fish Market-

(i). राज्य का मत्स्य उत्पादन में लागातार अभिवृद्धि हो रही है। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005 में राज्य का कुल मत्स्य उत्पादन 2.88 लाख टन था वहीं 2023–24 में बढकर 8.73 लाख टन की हो गई है अर्थात मत्स्य उत्पादन में तीन गुणा से अधिक की अभिवृद्धि दर्ज की गई है। मत्स्य उत्पादन बढने के साथ कई आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है जिसमे मत्स्य बाजार का निर्माण प्रमुख है। मछली एक जल्द ही खराब होने वाली खाद्य पदार्थ (Perishable commodity) है इसलिए इसका

रख–रखाव, परिवहन तथा बाजार तक त्वरित एवं हाइजेनिक रूप में पहुँच अत्यन्त ही आवश्यक है। विगत वर्षों में मत्स्य बाजार को संगठित एवं आधुनिक रूप देने की योजनागत प्रयास किया जा रहा है जिसमें मत्स्य विपणन कीट की योजना, समुचित मत्स्य परिवहन हेतु वाहन की योजना तथा पंचायत/प्रखंड स्तर पर रिटेल आउटलेट की योजना क्रियान्वित की गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तहत आधुनिक थोक/खुदरा मत्स्य निर्माण की योजना, फुलवारीशरीफ पटना में स्वीकृत की गई है। इस State of Art Wholesale fish market योजना के तहत एक आधुनिक मत्स्य बाजार परिसर का निर्माण किया जाएगा जहाँ पर जिलों से मछली का परिवहन कर हाईजेनिक एवं स्वास्थ्यकर रूप में उपभोक्ताओं तक पहुँचाने की सारी व्यवस्था होगी। इससे मत्स्य कृषकों/मछुओं को अपने मत्स्य उत्पाद को आधुनिक मत्स्य बाजार उपलब्ध होगा साथ ही उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर मछली उपलब्ध हो सकेगा।

(ii). इस घटक में पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ स्थित मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में State of Art Wholesale Fish Market इकाई का निर्माण किया जायेगा।

(iii). प्रस्तावित योजनान्तर्गत State of Art Wholesale Fish Market के तहत Building, Fire Fighting, Services and Campus Development निर्माण कार्य किया जायेगा (अवयववार–निर्धारित इकाई लागत, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–III संलग्न)।

(iv). प्रस्तावित योजनान्तर्गत State of Art Wholesale Fish Market के निर्माण का इकाई लागत ₹ 18.856 करोड़ निर्धारित है जिसका 60 प्रतिशत यथा ₹ 11.3136 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत यथा ₹ 7.5424 करोड़ राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में वहन किया जायेगा। निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर अतिरिक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(v). प्रस्तावित State of Art Wholesale Fish Market का निर्माण पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ स्थित मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में किया जायेगा जिसपर कुल ₹ 18.856 करोड़ राशि व्यय होने का अनुमान है।

6. क्रियान्वयन :–

(i). योजनान्तर्गत Integrated Development of Reservoirs एवं Construction of State of Art Wholesale Fish Market का निर्माण कार्य विभागीय अभियंता के देख–रेख में किया जाएगा।

(ii). Construction of State of Art Wholesale Fish Market का निर्माण हेतु विभागीय अभियंत्रण कोषांग द्वारा विधिवत निविदा आमंत्रित कर एजेंसी का चयन किया जायेगा।

(iii). Integrated Development of Reservoirs का निर्माण हेतु विभागीय अभियंत्रण कोषांग द्वारा जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (यदि आवश्यक हो) प्राप्त कर विधिवत निविदा के माध्यम एजेंसी का चयन कर अथवा जल संसाधन विभाग, सरकार बिहार द्वारा किया जायेगा।

(iv). केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक आधारित अवयव के तहत दोनो योजनाओं यथा Integrated Development of Reservoirs एवं Construction of State of Art Wholesale Fish Market का केन्द्र सरकार को समर्पित डी०पी०आर० में चिन्हित अवयवों का चिन्हित स्थल के अनुसार विस्तृत योजना प्राक्कलन विभागीय अभियंताओं द्वारा तैयार किया जाएगा तथा उनके द्वारा सक्षम तकनीकी अनुमोदन/स्वीकृति के पश्चात् योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।

7. सामान्य क्रियान्वयन निदेश –

(i) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सूत्रण, स्वीकृति, अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय स्वीकृति और अनुश्रवण समिति (SLAMC) एवं जिला स्तर पर जिला

स्तरीय समिति (DLC) का गठन राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या–889 दिनांक–07.08.2020 के द्वारा किया गया है।

(ii) इस योजनान्तर्गत स्वीकृत अवयवों का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार के मत्स्यपालन विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित निर्गत Operational Guidelines के तहत किया जायेगा।

(iii) Department of Expenditure, PFMS Division, Ministry of Finance, Govt. Of India द्वारा "Just-in-Time"release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through e-kuber of Reserve Bank of India (RBI) से सम्बन्धित निर्गत कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) F.No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक 13 जुलाई, 2023 तथा भविष्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार (वित्त विभाग, बिहार, पटना) द्वारा निर्गत करने वाले दिशा–निर्देश से इस योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी / व्यय किये जाने वाले राशि अच्छादित होगी।

(iv) इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत धनराशि का प्रबंधन और व्यय प्रगतिशील तरीके से समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण (Real Time System of Integrated Quick Transfers) ढांचे के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें पी०एफ०एम०एस०–एस०एन०ए० स्पर्श (Public Financial Management System-SNA SPARSH), राज्य आई०एफ०एम० आई०एस० (State Integrated Financial Management Information System) और भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म (e-kuber platform) शामिल होंगे।

(v) Department of Expenditure, Govt. Of India के दिशानिर्देश के अनुसार केन्द्रं सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश / Central Liability की राशि राज्य सरकार को SNA SPARSH के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। राज्य सरकार स्वीकृत केन्द्रांश राशि तथा इसके अनुपातिक राज्यांश राशि का बजटीय उपबंध प्राप्त कर, केन्द एवं राज्य सरकार द्वारा SNA SPARSH से सम्बन्धित निर्गत दिशानिर्देश / अनुदेश के आलोक में योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

(vi) योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो, विभागीय अधिसूचना संख्या म० / योजना–08 / 2021–313 दिनांक 02 मार्च, 2022 के तहत प्रदत्त शक्ति के आलोक में निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित तकनिकी समिति द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु समुचित निर्णय लिया जाएगा अथवा विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव अथवा राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval and Monitoring Committee) के अनुमति से निदेशक मत्स्य, बिहार आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत कर सकेंगे।

(vii) चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 तथा आगामी वर्षो में केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश राशि तथा इसके समानुपातिक राज्यांश राशि के अनुरूप उपबंधित राशि से अथवा आवश्यक्तानुसार अतिरिक्त बजट उपबंध प्राप्त कर योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। परन्तु व्यय हेतु स्वीकृति कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रहेगा।

8. इस योजना के तहत बजट शीर्षवार, विषयशीर्षवार, निकासी एवं व्ययंन पदाधिकारी, कोषागार, व्यय हेतु स्वीकृत राशि आदि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।

9. SNA SPARSH से सम्बन्धित केन्द्र एवं राज्य सरकार (वित्त विभाग, बिहार, पटना) द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश से इस योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी/अंतरण/व्यय किये जाने वाले राशि अच्छादित होगी।

10. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी तथा पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे। साथ ही, व्यय की गई राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

11. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे।

12. बजट शीर्ष :–
   (i) इस केन्द्र प्रायोजित योजना के गैर–लाभुक आधारित घटक के तहत् व्यय हेतु स्वीकृत केन्द्रांश राशि का व्यय– मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0219 –नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02–2405001010219 का विषय शीर्ष–0219.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अतिरिक्त राशि प्राप्त कर किया जाएगा।
   (ii) साथ ही, व्यय हेतु स्वीकृत राज्यांश राशि की व्यय–मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0319 –नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02–2405001010319 के विषय शीर्ष–0319.31.06 –सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अतिरिक्त राशि प्राप्त कर किया जाएगा।

13. दिनांक–14.01.2025 को संपन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)05/2025 के पृष्ठ 19–18/प०.

14. निदेशक, मत्स्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

15. चूँकि यह एक नयी योजना है। योजना का लागत मूल्य 15.00 करोड़ से अधिक एवं 30.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)05/2025 के पृष्ठ–09/टि० एवं दिनांक–11.02.2025 एवं पृष्ठ–36/टि० एवं दिनांक–24.03.2025.

16. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त हैं। संचिका संख्या 6 एस०एस०(6)05/2025 के पृष्ठ–08/टि० तथा डायरी संख्या–20, दिनांक–16.01.2025.

17. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना पूर्णरूपेण जवाबदेह होंगे तथा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को विहित प्रपत्र में ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

18. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

27/3/25

(गीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)05/2025– 1493 /पटना–15, दिनांक– 27/03/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

27/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)05/2025– 1493 /पटना–15, दिनांक– 27/03/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)05/2025– 1493 /पटना–15, दिनांक– 27/03/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

27/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)05/2025– 1493 /पटना–15, दिनांक– 27/03/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित अवर सचिव, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग, कमरा संख्या–221, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)05/2025– 1493 /पटना–15, दिनांक– 27/03/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)05/2025– 1493 /पटना–15, दिनांक– 27/ 03/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

27/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)05/2025– 1493 /पटना–15, दिनांक– 27/ 03/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/3/25

सरकार के अपर सचिव

(अनुलग्नक–I)

चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक आधारित "Integrated Development of Reservoirs एवं Construction of State of Art Wholesale Fish Market" हेतु वृहद, लघु एवं उपशीर्ष बजट विवरणी, कोषागार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूचि तथा स्वीकृत राशि की विवरणी।

क्र0	वृहद, मुख्य, लघु, उपशीर्ष एवं विपत्र कोड	विषय शीर्ष	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*8*	*9*
(1)	मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष –0219–नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड 02–2405001010219 **(केन्द्रांश)**, पी0एफ0एम0एस0 कोड–3890	0219–31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	1482.880	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)	कोषागार (सभी)
	मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष–0319–नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना–2020–21) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड 02–2405001010319 **(राज्यांश)**, पी0एफ0एम0एस0 कोड–3890	0319–31.06–सहायक अनुदान– गैर वेतन	988.600		
		योग –	2471.480		
	(चौबीस करोड़ इकहत्तर लाख अड़तालीस हजार रुपये मात्र)				

27/3/25

सरकार के अपर सचिव

1493
27/03/2025

अनुलग्नक–II

Integrated Development of Reservoirs (Sub- activity approved for both Reservoir namely Odhni and Badua in Banka District)

(Rs. In lakh)

S. No.	Components	Units	Unit Cost	Recommendation
1	Rearing pond- (2 No x 0.50 acre)=1.00 acre Nursery Pond-(6No. X 0.25 acre)-1.50 ha	1	15.00	15.00
2	Input (Ha.)	1	4.00	4.00
3	Boats with ice holding boxes and necessary gear (No)	8	2.50	20.00
4	Construction of landing centre including berthing platforms cum auction centre (No)	1	20.00	20.00
5	Establishment of Freshwater Finfish Hatchery (No) with input	1	25.00	25.00
6	Establishment of min feed mill of capacity 2 ton/day (No)	1	30.00	30.00
7	Establishment of ice plant of 10 ton capacity	1	40.00	40.00
8	Insulated Trucks/Van (No)	1	20.00	20.00
9	Auto rickshaw/3 wheelers with ice boxes	5	3.00	15.00
10	Moter cycle with ice boxes (No)	6	1.00	6.00
11	Fish Kiosk (No)	1	10.00	10.00
12	Construction of shed, warehouse and other utility space (sft)	2500	1000.00	25.00
13	Installation of Cages/pen (Nos)	18	3.00	54.00
14	Construction of pathway/road, landscaping & other necessary construction items	Per KM	20.00	10.00
	Total			**290.00**
15	Contingency Charge (1%)			2.94
	Total Cost (RS. In Lakh)			**292.94**
	Total Amount recommended by PAC per Reservoir			**292.94**
	Centra Share (60%)			175.76
	State Share (40%)			117.18

S. No.	Particulars	Government of India's Recommendation (RS. In lakh)		
		TPC	**Central Share**	**State Share**
1	Integrated Development of Reservoirs-Odhni Reservoir	292.94	175.765	117.176
2	Integrated Development of Reservoirs-Badua Reservoir	292.94	175.764	117.176
	Total	**585.88**	**351.528**	**234.352**

27/3/25

सरकार के अपर सचिव

1493
27/03/2025

अनुलग्नक–III

Construction of Hygienic Wholesale Fish Market at Bhusaula Pokhar behind AIIMS, Phulwari, Patna

Sl. No.	Description	Unit Cost (Rs.)	Proposed Amount (Rs in Crores)
	Building Cost		
1	RCC framed structure (Office)	30820	7.66
2	Extra for raft foundation	12170	2.98
	Fire Fighting		
3	Weight riser and sprinkler system	1200	0.294
4	Automatic fire alarm system	600	0.149
	Service		
5	Internal water supply and sanitary installations		0.307
6	Electrical External service connection		0.287
7	Civil External service connection		0.096
8	Internal Electrical Installation		0.958
9	Extra for Power wiring and plugs		0.307
10	Extra for Lighting conductor		0.019
11	Extra for Telephone condults		0.019
12	Extra for consultancy services for designing & planning		0.077
13	Overhead Tank Capacity LS 100000 L	23	0.23
14	Cold Store Machinery		0.40
15	Ice Plant Machinery		0.40
16	Air Conditioning		0.20
	Campus Development		
17	Levelling 75 % of plot area	340	0.15
18	Cement Concrete Pavement (internal road & parking)	2320	0.587
19	Storm water Drains	10150	0.20
20	Rain water Harvesting LS length	3810	0.038
21	Boundary wall with brick work structure and RCC band	10870	0.39
22	Horticulture including pond area	312	0.031
23	Retaining wall for embarkment protection of Existing Pond		0.50
24	Beautification of Existing Pond		0.36
25	Silent Type Disel Generating Set 100 KVA	11560	0.23
26	Extra for synchronizing panels 100KVA	1070	0.021
27	Solar Power		0.50
28	Street lighting with LED	160	0.096
29	High Mast Light 10 mtrs high	956000	0.19
30	Ground water Sump including Fire Hydrants	23	0.115
31	Water tanks	34	0.17
32	Supplying installation testing and commissioning IP based CCTV system for building indoor security	210	0.052
33	Supplying installation testing and commissioning IP based CCTV system for building outdoor surveillance	210	0.076
34	Supplying installation testing and commissioning IP based EPABX system for building	580	0.21
35	Electro mechanical Boom Barrier with all accessories	125000	0.025
36	Supply installation and commissioning of Effluent Treatment Plant 125 KLD per day		0.50
37	Main Entry & Exit Gates @ 1500000 each	250000	0.50
	Total amount Recommended		**18.856 Cr**
	Central Share (60%)		**11.3136 Cr**
	State Share (40%)		**7.5424 Cr**

1493
27/03/2025

27/3/25
सरकार के अपर सचिव